हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	172/19 रामप्रताप / रामप्यारी	
10-2-2020	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. लगा. 1 की ओर से अरविन्द कुमार पारीक एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. लगा. 1 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा श्री गोरधन लाल शर्मा का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये प्रार्थनापत्र स्थानांतरण को चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी अधिवक्ता अप्रार्थीगण के उक्त कथन से सहमत होना व्यक्त करते हुए प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा श्री गोरधन लाल शर्मा का स्थानांतरण हो जाने से प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को खारिज किया जाने का अनुरोध करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में विचाराधीन प्रकरण उनवानी रामप्रताप बनाम रामस्वरूप को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थी रामप्रताप पांचाल पुत्र स्व. श्री मूलचंद पांचाल निवासी खेरवाल जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को भिजवाई जावे। पत्रावली कौशल कुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेखागार हो। निर्णय आज दिनांक 10-2-2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर दौसा	SDO दौसा को पत्रांक 642 दिनांक 17/02/2020 द्वारा निर्णय की सत्यापित छाया प्रति प्रेषित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official